अनुसूची १४–फारम सं०–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

विविध वाद संख्याः 467 / 2013

योगेन्द्र साह —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 12.02.2013 ई० अन्दर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 195 / 12 के विरूद्ध इस न्यायालय में भूमि विवाद अपील संख्या 85 / 2013 दायर किया गया था। अपीलार्थी वाद की नामांकन विन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित विगत कई तिथियों में अनुपस्थित रहे है एवं दिनांक 16.08.2013 को उपस्थिति देकर पुकार पर पुनः अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अपील वाद को नामांकन विन्दु पर Dismissed for default किया गया था। उक्त अपील वाद को पुनर्जीवित करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2013 को विविध वाद संख्या 467 / 2013 इस न्यायालय में दायर किया गया, जिसे दिनांक 20.02.2014 को सुनवाई कर वाद को पुनर्जीवित किया गया वो दिनांक 10.04.2014 को अपील वाद के नामांकन विन्दु पर सुनवाई की गयी।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी एवं सरकारी अधिवक्ता को नामांकन बिन्दु पर सुनने तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरान्त पाया कि निम्न न्यायालय के आदेश में उभय पक्षो के बीच अधिकार वाद संख्या 224 / 2010 अवर न्यायाधीश प्रथम, सहरसा के न्यायालय में समान पक्षकारों के बीच विवाद पूर्व से लम्बित होने का उल्लेख किया गया है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4–उप–धारा 5 में पूर्व से लम्बित अधिकार वाद की स्थिति में वाद की कार्यवाही बन्द करने का स्पष्ट रूप से नियमन है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपीलवाद को नियमन के आधार पर नामांकन विन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त, 25/4/14
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त, 25/4/14
कोशी प्रमंडल, सहरसा